सोशल आडिट निदेशालय

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 488/सो.आ.नि.–117/2014
दिनाँकः 28 नवम्बर, 2014

प्रेषक,

निदेशक, **समयबद्ध/महत्वपूर्ण**
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर, कासगंज, चंदौली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014–15 में की गई सोशल आडिट की प्रगति।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एम–13015/2/2012–MMGNREGA-VII दिनांक 22–10–2014 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 02–12–2014 को समस्त राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ सोशल आडिट के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की जाएगी। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हेतु निम्न प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में (नवम्बर, 2014 तक) सम्पन्न हुए सोशल आडिट के सम्बन्ध में सूचना इस निदेशालय द्वारा तैयार कर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रारूप पर सूचना **दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 तक** प्रत्येक दशा उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सूचना प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित की जा सके :–

Social Audit of MGNREGA

(i) ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका हैः
(ii) सोशल आडिट के दौरान पाई गई कमियों के मामलों की संख्याः
(iii) सोशल आडिट के दौरान पाई गई कमियों के मामलों में से सुलझाए गए मामलों की संख्याः
(iv) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज की गई एफ0आई0आर0 की संख्याः
(v) दुरूपयोग की गई धनराशि (रुपए में)ः
(vi) दुरूपयोग के प्रकरण में वसूल की गई धनराशिः
(vii) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गईः

Social Audit of Indira Awas Yojna (IAY)

(i) ग्राम पंचायतों की संख्या, जहॉ इन्दिरा आवास का लक्ष्य है:
(ii) ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका है:
(iii) सोशल आडिट के दौरान पाई गई कमियों के मामलों की संख्या:
(iv) सोशल आडिट के दौरान पाई गई कमियों के मामलों में से सुलझाए गए मामलों की संख्या:
(v) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज की गई एफ0आई0आर0 की संख्या:
(vi) दुरूपयोग की गई धनराशि (रुपए में):
(vii) दुरूपयोग के प्रकरण में वसूल की गई धनराशि:
(viii) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई:

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांक: 488(1)/सो.आ.नि.–117/2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि :–
समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की भारत सरकार द्वारा वांछित उक्त बिन्दुओं पर सूचनाएं **दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 तक** प्रत्येक दशा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(शंकर सिंह)
निदेशक।